कार्यालय – प्रधान मुख्य वन संरक्षक (संरक्षण कक्ष)

सतपुड़ा भवन, प्रथम तल, मध्यप्रदेश, भोपाल

Tel. (office) 2674212 (Fax) 2551450, E-mail: apccfprot@mp.gov.in

क्रमांक/एफ–5/10–10/2008/ 4154 भोपाल, दिनांक 22-12-08

प्रति,

1– समस्त मुख्य वन संरक्षक
(क्षेत्रीय),
मध्यप्रदेश ।

2– समस्त वन मण्डलाधिकारी
(क्षेत्रीय),
मध्यप्रदेश ।

विषयः–वाहनों की राजसात प्रकिया को त्वरित ढंग से पूर्ण करने बाबत ।

क्षेत्रीय परीक्षण में यह पाया गया है कि विभिन्न अधिनियमों में वाहनों के राजसात के प्रकरणों की समय सीमा निर्धारित नहीं होने के कारण प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा इस न्यायिक प्रकिया में काफी समय लिया जा रहा है । कुछ प्रकरणों में दो वर्ष से भी अधिक का समय राजसात प्रकिया को पूर्ण करने में लगा है, जबकि यह होना चाहिये कि न्यायिक प्रकिया के पालन में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा यह समाधान होने पर कि वन अपराध हुआ है और किया गया वन अपराध पेटीआफेंस नहीं है तो वह वन अपराध प्रकरण की अधिकारिता रखने वाले न्यायालय को नियमानुसार अधिहरण करने की कार्यवाही की सूचना यथाशीघ्र भेजेगा ताकि वाहन मालिक एवं अधिकारिता रखने वाले वाहन चालक को भी अधिहरण की कार्यवाही प्रारम्भ करने की सूचना यथाशीघ्र दी जा सके । जप्त वाहन के संबंध में प्राधिकृत अधिकारी के द्वारा सुनवाई हेतु जप्ती के कुछ समय पश्चात तिथि निर्धारित कर जप्ती कर्ता, वाहन चालक, वाहन मालिक तथा वाहन पर अधिकारिता रखने वाले को सुनवाई की तिथि व समय पर उपस्थित होने की सूचना दी जाये, जिसकी प्राप्ति अभिस्वीकृति भी आवश्यक रूप से नस्ती में रखें । निर्धारित तिथि को संबंधित व्यक्तियों के उपस्थित न होने पर एक और अन्तिम अवसर देते हुये तिथि निर्धारित की जाकर संबंधितों को सूचित किया जाये । सुनवाई के समय जप्तीकर्ता से पूछताछ कर वाहन मालिक को बचाव उत्तर प्रस्तुत करने का समय दिया जाये तथा वाहन

प्रत्येक यदि लिखित प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है तो उसे प्राप्त कर उसके द्वारा प्रस्तुत बचाव साक्ष्य यदि कोई हो तो का परीक्षण किया जाये ।

इस प्रकार समस्त विधिक प्रकियाओं का पालन करते हुये जनहित में यह सुनिश्चित किया जाना चाहिये कि राजसात की प्रकिया अधिकतम 6 माह में पूर्ण हो जावे। यदि किन्हीं कारणों से प्रकरण में 6 माह से अधिक समय लगना सम्भावित है तो प्रकरण में विलम्ब के कारणों को दर्शाते हुये प्राधिकृत अधिकारी द्वारा राजसात की प्रकिया को पूर्ण करने हेतु अपेक्षित समय सीमा का विवरण देते हुये उसके एक्सटेंशन हेतु स्वीकृति वन मण्डलाधिकारी की अनुशंसा पर अपीलीय अधिकारी से मांगी जाना चाहिये । यह उचित होगा कि वन मण्डलाधिकारी अपने क्षेत्र अन्तर्गत आने वाले राजसात प्रकरणों की प्रकिया को त्वरित ढंग से करने हेतु समीक्षा प्रत्येक 3 माह में करेंगे । यदि विलम्ब हेतु प्राधिकृत अधिकारी जिम्मेदार पाये जाते हैं तो इस हेतु उन्हें अपने स्तर से उचित निर्देश प्रसारित करेंगे । एक बार एक्सटेंशन मिलने के बाद यदि पुनः अवधि बढ़ाने की आवश्यकता होती है तो प्राधिकृत अधिकारी कारणों का विवरण देते हुये एक्सटेंशन हेतु अपीलीय अधिकारी से स्वीकृति मांग सकेंगे, किन्तु अपरिहार्य कारणों को छोड़कर 2 बार से अधिक Extention नहीं किया जाना चाहिये ।

19/1/2010

(डॉ० पी० बी० गंगोपाध्याय)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक
मध्यप्रदेश भोपाल